संख्या–2577/चौवालिस-1/1987

प्रेषक,

श्री जे०ए० कल्याण कृष्णन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों निगमों के
अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
(2) राज्य के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
प्रशासनिक विभागों के शासन के सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 7 मार्च, 1988

विषयः– विदेशी कम्पनियों से तकनीक अथवा संयत्र आयात किये जाने के लिए उनसे किये गये अनुबन्ध में प्रशिक्षण व्यय के वहन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदय,

कुछ समय से ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/निगम, औद्योगिक क्षेत्र में इकाई की स्थापना हेतु तकनीक अथवा कोई संयत्र आयात करने हेतु विदेशी कम्पनियों से जो समझौता करते हैं उसमें यह शर्त भी सम्मिलित कर लेते हैं कि विदेशी कम्पनी अपने व्यय पर शासन के कुछ लोगों को प्रशिक्षण देगी। विदेशी कम्पनी संयत्र अथवा तकनीक की लागत में प्रशिक्षण व्यय के अनुपालन में तद्नुसार वृद्धि करके प्रशिक्षण के व्यय को उसमें समायोजित कर लेती है। बाद में सार्वजनिक उद्यमों द्वारा अधिकारियों के विदेश प्रशिक्षण का जो प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जाता है उसमें यह उल्लेख किया जाता है कि कुछ अधिकारियों को विदेश प्रशिक्षण पर भेजा जाना आवश्यक है और इस प्रशिक्षण का सारा व्यय विदेशी कम्पनी देगी। इस प्रकार प्रशिक्षण का व्यय अन्ततः शासन/निगम को ही वहन करना पड़ता है परन्तु प्रशिक्षण का प्रस्ताव प्राप्त होते समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसमें शासन अथवा उपक्रम पर कोई व्यय भर नहीं आ रहा है।

2- इस सम्बन्ध में शासन द्वारा गम्भीरता से विचार किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में निर्धारित की गई व्यवस्था का भी अध्ययन किया गया और अन्ततः इस विषय पर भारत सरकार द्वारा जो मार्ग निर्देश प्रसारित किये गये हैं उनकी प्रति आपको मार्ग निर्देशनार्थ भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन मार्ग निर्देशनों के अनुकूल ही ऐसे प्रस्तावों की स्वीकृति से पूर्व परीक्षण कर लिया जाय।

3- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में इकाई की स्थापना हेतु विदेशी तकनीक अथवा कोई संयत्र आयात करने हेतु विदेशी कम्पनियों से जो अनुबन्ध करें उससे पूर्व निम्नलिखित पर सतर्कतापूर्वक परीक्षण किया जाना चाहिएः–

(1) परामर्शदात्री विदेशी संस्था/आयातित विदेशी कम्पनी की संस्तुतियां अनिवार्य नहीं होंगी। किसी संयत्र के संचालन अथवा विदेशी तकनीक के ज्ञान के लिए प्रशिक्षण पर कम्पनी के कर्मचारियों को भेजने का निर्णय लेते हुए इस बात पर सम्यक रूप से विचार कर लिया जाय कि ऐसी तकनीक देश/प्रदेश में उपलब्ध नहीं है और वह अपरिहार्य है।

(2) अनुबन्ध करते समय इस बात के लिए स्पष्ट प्राविधान किया जाय कि प्रशिक्षण का पूरा व्यय विदेशी संस्था देगी और उक्त प्रशिक्षण के कारण आयातित संयत्र/सामग्री के व्यय में बढ़ोत्तरी नहीं की जायगी। इसे सुनिश्चित करने के लिए विश्व बाजार में सभी सम्भव माध्यमों से आयातित सामग्री/संयत्र/तकनीक की कीमत की जानकारी अनुबन्ध करने से पहले कर ली जानी चाहिए।

(3) जो संयत्र/सामग्री आयात की जाय, उनके नाम विशेषतया अनुबन्ध में अंकित किये जायं ताकि संयत्र की कीमत में बढ़ोत्तरी अथवा संयत्र/सामग्री की गुणवत्ता में परिवर्तन न किया जा सके अथवा उसे पूर्णतः परिवर्तित न किया जा सके।

(4) आयातित सामग्री में सप्लायर कम्पनी द्वारा यदि कोई सुधार किया जाता है तो उससे सम्बन्धित जानकारी कम्पनी द्वारा उपक्रम को पूर्व व्यय पर ही दी जायगी।

(5) आयातित सामग्री/संयत्र आदि की कीमत का अलग–अलग विवरण (Break Ups) साथ भाड़े का भुगतान साइडिंग चार्जेज, हैन्डलिंग चार्जेज, बिक्री कर, अवशान प्रभार शुल्क (Terminal Tex) इत्यादि स्पस्ट रूप से अनुबन्ध में इंगित होना चाहिए।

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे आपसे यह अनुरोध करना है कि प्रस्ताव का परीक्षण करते समय उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित अनुदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायः–

(1) विदेशी कम्पनियों के साथ अनुबन्ध करते समय विदेशी सहयोग से सम्बन्धित प्रशिक्षण के व्यय को प्रोजेक्ट लागत में सम्मिलित न किया जाय।

(2) जहां कहीं विदेश प्रशिक्षण आवश्यक हो वहां प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को स्पष्ट रूप से अलग से दर्शाया जाय और विदेश प्रशिक्षण का कार्यक्रम और उसकी रूप रेखा अलग से बनायी जाय जिस पर सम्बन्धित निगम द्वारा प्रशासकीय विभाग के माध्यम से शासन के सार्वजनिक उद्यम विभाग का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(3) विदेश प्रशिक्षण की रूपरेखा/प्रस्ताव तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षण उच्च स्तर पर ही दिलाया जाय ताकि प्रशिक्षण प्राप्तकर्ता स्वदेश लौटकर अपनी कम्पनी में प्रशिक्षक की हैसियत से दूसरे अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकें।

(4) प्रशिक्षण का प्रस्ताव तैयार करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि प्रशिक्षण हेतु कम से कम अधिकारियों को तथा कम से कम समय के लिए विदेश भेजा जाय।

(5) कृपया यह भी सुनिश्चित किया जाय कि विदेश प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी कम से कम 5 वर्ष तक सम्बन्धित निगम/उपक्रम को न छोड़ सकें।

5- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस शासनादेश की प्राप्ति भी स्वीकार करने का कष्ट करें।

भवदीय,

[जे० ए० कल्याण कृष्णन्]

मुख्य सचिव।